

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 26)

[12 जून, 2006]

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

1934 का 2

2. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 17 में,— धारा 17 का संशोधन।

(i) खंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(6क) व्युत्पन्नों में और केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से किसी अन्य वित्तीय लिखत में व्यवहार करना।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “व्युत्पन्न” से ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसका निपटान किसी भविष्यवर्ती तारीख को किया जाना है और जिसका मूल्य निम्नलिखित पूर्वाधिकारों में से एक या एक से अधिक के समुच्चय में परिवर्तन से व्युत्पन्न किया जाता है, अर्थात्:—

(क) ब्याज दर,

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी प्रतिभूतियों की जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, कीमत,

(ग) विदेशी प्रतिभूतियों की कीमत,

(घ) विदेशी मुद्रा दर,

(ङ) रेट या कीमतों का सूचकांक,

(च) प्रत्यय रेटिंग या प्रत्यय सूचकांक,

(छ) सोने या चांदी के सिक्कों की कीमत, या सोने या चांदी बुलियन, या

(ज) इसी प्रकृति के कोई अन्य परिवर्ती;’

(ii) खंड (12क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

‘(12कक) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी प्रतिभूतियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं या विदेशी प्रतिभूतियों को उधार देना या उधार लेना;

(12कख) रेपो या रिवर्स रेपो में व्यवहार करना:

परंतु रेपो या रिवर्स रेपो के माध्यम से निधियों को उधार देना या उधार लेना इस धारा में अंतर्विष्ट किसी परिसीमा के अध्वधीन नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “रेपो” से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी प्रतिभूतियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं या विदेशी प्रतिभूतियों को, उक्त पारस्परिक रूप से करार की गई भविष्यवर्ती तारीख को करार पाई गई कीमत पर, जिसके अंतर्गत उधार ली गई निधियों पर ब्याज भी है, पुनः क्रय करने के लिए करार के साथ उक्त प्रतिभूतियों के, विक्रय द्वारा निधियां उधार लेने के लिए कोई लिखत अभिप्रेत है;

(ख) “रिवर्स रेपो” से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को या किसी स्थानीय प्राधिकारी की, ऐसी प्रतिभूतियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं या विदेशी प्रतिभूतियों को, उक्त पारस्परिक रूप से करार की गई भविष्यवर्ती तारीख को करार पाई गई कीमत पर जिसके अंतर्गत उधार ली गई निधियों पर ब्याज भी है, पुनः विक्रय करने के लिए करार के साथ प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा निधियां उधार देने के लिए कोई लिखत अभिप्रेत है;।

धारा 42 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 42 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “उस बैंक के, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरणी में यथादर्शित, भारत में मांग और कालिक दायित्वों के योग के तीन प्रतिशत से कम नहीं होगी” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उस बैंक के, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरणी में यथादर्शित भारत में मांग और कालिक दायित्वों के योग के ऐसे प्रतिशत से जिसे बैंक, समय-समय पर देश में आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के राजपत्र में अधिसूचित करे, कम नहीं होगी” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (1क) और उपधारा (1ख) का लोप किया जाएगा।

नए अध्याय 3घ का अंतः
स्थापन।

4. मूल अधिनियम के अध्याय 3ग के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘अध्याय 3घ

व्युत्पन्न, मुद्रा बाजार लिखतों, प्रतिभूतियों आदि में संव्यवहारों का विनियमन

परिभाषाएं।

45प. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “व्युत्पन्न” से ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसका निपटान किसी भविष्यवर्ती तारीख को किया जाना है, और जिसका मूल्य ब्याज दर, विदेशी मुद्रा दर, प्रत्यय रेटिंग या प्रत्यय सूचकांक, प्रतिभूतियों की कीमत (जिसे पूर्वाधिकार भी कहा जाता है) या उनमें से किसी एक से अधिक के समुच्चय में परिवर्तन से व्युत्पन्न है और जिसके अंतर्गत ब्याज दर विनियम, अग्रिम दर करार, विदेशी करेंसी विनियम, विदेशी करेंसी रुपया विनियम, विदेशी करेंसी विकल्प, विदेशी करेंसी रुपया विकल्प या ऐसी अन्य लिखत भी हैं जो समय-समय पर बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) “मुद्रा बाजार लिखत ” के अंतर्गत मांग या सूचना धन, आवधिक धन, रेपो, रिवर्स रेपो, जमा-प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक सावधि बिल, वाणिज्यिक पत्र और एक वर्ष तक की परिपक्वता के मूल या आरंभिक ऐसा अन्य ऋण लिखत जिसे बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;

(ग) “रेपो” से प्रतिभूतियों को पारस्परिक रूप से करार की गई भविष्यवर्ती तारीख को करार पाई गई कीमत पर, जिसके अंतर्गत उधार ली गई निधियों पर ब्याज भी है, पुनः क्रय करने के लिए करार के साथ उन प्रतिभूतियों के विक्रय द्वारा निधियां उधार लेने के लिए कोई लिखत अभिप्रेत है;

(घ) “रिवर्स रेपो” से प्रतिभूतियों को पारस्परिक रूप से करार की गई भविष्यवर्ती तारीख को करार पाई गई कीमत पर, जिसके अंतर्गत उधार ली गई निधियों पर ब्याज भी है, पुनः विक्रय करने के लिए करार के साथ उन प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा निधियां उधार देने के लिए कोई लिखत अभिप्रेत है;

(ङ) “प्रतिभूतियों” से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां या किसी स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, और जिसमें “रेपो” या “रिवर्स रेपो” के प्रयोजनों के लिए, निगमित बंधपत्र और डिबेंचर भी हैं।

1956 का 42

45फ. (1) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्युत्पन्नों में संव्यवहार, जो बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, विधिमाम्य होंगे, यदि संव्यवहार के पक्षकारों में से कम-से-कम एक पक्षकार बैंक, अनुसूचित बैंक या इस अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या किसी अन्य अधिनियम के अधीन या विधि का बल रखने वाली ऐसी लिखत के अधीन जो बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, बैंक के विनियामक परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई अन्य अभिकरण भी है।

व्युत्पन्नों में संव्यवहार।

1949 का 10

1999 का 42

(2) ऐसे व्युत्पन्नों में संव्यवहार, जो बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए थे, हमेशा ही ऐसे विधिमाम्य रहे समझे जाएंगे, मानो उपधारा (1) के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थे।

व्युत्पन्नों, द्रव बाजार लिखतों आदि में संव्यवहारों को विनियमित करने की शक्ति।

45ब. (1) बैंक, लोकहित में, या देश की वित्त प्रणाली को उसके लाभ के लिए विनियमित करने के लिए, ब्याज दरों या ब्याज दर उत्पादों के संबंध में नीति अवधारित कर सकेगा और प्रतिभूतियों, द्रव बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा, व्युत्पन्नों या वैसी ही प्रकृति की अन्य लिखतों, जो बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, से संबंधित सभी अभिकरणों या उनमें से किसी को उस निमित्त निदेश दे सकेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन जारी निदेश, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में, उसमें वर्णित संव्यवहारों के संबंध में व्यापार के निष्पादन या निपटान के लिए प्रक्रिया से संबंधित नहीं होंगे।

1956 का 42

(2) बैंक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरणों को विनियमित करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, उनसे कोई जानकारी, विवरण या अन्य विशिष्टियां मंगा सकेगा या ऐसे अभिकरणों का निरीक्षण करा सकेगा।

निदेशों का पालन करने और जानकारी देने का कर्तव्य।

45भ. प्रत्येक निदेशक या सदस्य या अन्य निकाय का जिसमें धारा 45ब में निर्दिष्ट अभिकरणों के कामकाज का प्रबंध तत्समय निहित किया गया है, यह कर्तव्य होगा कि वह बैंक द्वारा दिए गए निदेशों का पालन करे और उस धारा के अधीन मांगी गई जानकारी या विवरण या विशिष्टियां प्रस्तुत करे।'।